

प्रारूप-20 (क)
(नियम 29)

अधिनियम की धारा- 21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर द्वारा अधिसूचना संख्या 6342/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 15.07.2020 निर्गत करते है तथा टी0एच0डी0सी0इण्डिया लि0 खुर्जा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उच्चतापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के निर्माण हेतु स्थायी रूप से भूमि अर्जन। परियोजना के लिए जिला बुलन्दशहर, तहसील-खुर्जा, परगना-खुर्जा, ग्राम- नयावास मजरा नायसर में स्थित अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या 7020/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 12.01.2021। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सं0सं0) बुलन्दशहर (कलेक्टर कमरा नं0-09) में दिनांक 15.02.2021 दिन-सोमवार को पूर्वाहन में उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्धों में दावे की धनराशि एवं ब्याज, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

जनपद	परगना/ तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे० मी)	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हे० मी)	अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार/उप किरायेदार/आसामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
बुलन्दशहर	खुर्जा	नयावास मजरा नायसर	667म 667म	0.5430 0.6220	0.3160	कमल जीत सिंह, कपिल जीत सिंह पुत्रगण ब्रह्म जीत सिंह नि०-नयावास मजरा नायसर	-	टी0एच0डी0सी0 परियोजना की रेलवे लाईन हेतु भूमि का स्थायी रूप से अर्जन

यह नोटिस दिनांक 14.01.2021 को भेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

परिपत्रक

विशेष भूमि कलेक्टर/नगरि अधिकारी
(संयुक्त संपादन) बुलन्दशहर

प्रारूप-20 (क)

(नियम 29)

अधिनियम की धारा-21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर द्वारा अधिसूचना संख्या 6342/आठ-वि0मू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 15.07.2020 निर्गत करते है तथा टी0एच0डी0सी0इण्डिया लि0 खुर्जा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उच्चतापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के निर्माण हेतु स्थायी रूप से भूमि अर्जन। परियोजना के लिए जिला बुलन्दशहर, तहसील-खुर्जा, परगना-खुर्जा, ग्राम- दशहरा खेरली में स्थित अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या 7020/आठ-वि0मू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 12.01.2021। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिकार के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (संस0) बुलन्दशहर (कलेक्टर कमरा नं0-03) में दिनांक 15.02.2021 दिन-सोमवार को पूर्वाहन में उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्धों में दावे की धनराशि एवं ब्योरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

जनपद	परगना / तहसील	ग्राम / नगर	भूखण्ड संख्या / गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	अभिलिखित भू-धारक / स्वामी / उपस्वामी / भूमिधर / सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार / उप किरायेदार / आसामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
बुलन्दशहर	खुर्जा	दशहरा खेरली	972म	0.3370	0.0708	नेकपाल सिंह, गंगासरन सिंह पुत्रगण विजयपाल सिंह, नरेश कुमार पुत्र रोदास सिंह, श्रीमती सर्वश देवी पत्नी रोदास सिंह नि0-ग्राम जगदीस सिंह पुत्र विजयपाल सिंह व नरेश कुमार पुत्र रोदास, श्रीमती सर्वश पत्नी रोदास नि0-ग्राम व गंगा शरण पुत्र विजयपाल नि0-ग्राम तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर श्रीमती नीतू गौतम पत्नी प्रताप चन्द नि0- खुर्जा जंघसन	-	टी0एच0डी0सी0 परियोजना की रेलवे लाईन हेतु भूमि का स्थायी रूप से अर्जन
बुलन्दशहर	खुर्जा	दशहरा खेरली	1019 1015	0.1390 1.0650	0.0172 0.00220	रामबाबू पुत्र रामवीर सिंह नि0-ग्राम, निजेंद्र सिंह पुत्र रामचरण सिंह, श्रीमती प्रेमलता पत्नी रामचरण सिंह नि0- म0नं0-983 गुलशन बिहार कालोनी सिद्धेश्वर रोड खुर्जा, करन सिंह चौहान पुत्र सुभे सिंह नि0- म0नं0-985 मुखरी नगर बाहरी क्षेत्र खुर्जा व कालीचरण सिंह याना पुत्र रामस्वरूप सिंह नि0-ग्राम हजारतपुर पूठरी व मनोज प्रताप सिंह पुत्र रामचरण सिंह नि0- म0नं0-983 मी0 मुखरी नगर आंचल मेरिज होम खुर्जा	-	

N

बुलन्दशहर	खुर्जा	दशहरा खैरली	1071	0.2150	0.0100	दुर्जन सिंह पुत्र रघुराज सिंह, ब्रिजेश कुमार, हरकेश कुमार पुत्रराज मदन सिंह, श्रीमती सुकमा देवी पत्नी मदन सिंह एवं मुकेश सिंह पुत्र वीरपाल सिंह पि०-ग्राम दशहरा खैरली		
-----------	--------	-------------	------	--------	--------	---	--	--

यह नोटिस दिनांक 14.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।



व.दि.सहा.
०

विशेष शक्ति अधिकारी अधिकारी
कलेक्टर
[संयुक्त संगठन] बुलन्दशहर

प्रारूप-20 (क)
(नियम 29)

अधिनियम की धारा-21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर द्वारा अधिसूचना संख्या 6342/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 15.07.2020 निर्गत करते है तथा टी0एच0डी0सी0इण्डिया लि0 खुर्जा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उच्चतापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के निर्माण हेतु स्थायी रूप से भूमि अर्जन। परियोजना के लिए जिला बुलन्दशहर, तहसील-खुर्जा, परगना-खुर्जा, ग्राम- जाँवल में स्थित अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्योषणा संख्या 7020/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 12.01.2021। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सं0सं0) बुलन्दशहर (कलेक्टर कमरा नं0-03) में दिनांक 15.02.2021 दिन-सोमवार को पूर्वाह्न में उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्धों में दावे की धनराशि एवं व्योरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

जनपद	परगना/ तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम	किसयेदार/उप किसयेदार/आसामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
बुलन्दशहर	खुर्जा	जाँवल	487	1.5790	0.0641	योगेश कुमार, सुमित कुमार वालिया व रोविन कुमार ना0वा0 15वर्ष सं0 रानी देवी गाटा पुत्रगण मनोहर सिंह व आमा जादैन व रमा पुत्रीगण मनोहर सिंह व श्रीमती रानी देवी पत्नी स्व० मनोहर सिंह नि0- नयावास, श्रीमती भगवान देवी पत्नी मेघ सिंह नि0- जाँवल, सतीश कुमार, रामश्रवदार, प्रेमपाल सिंह पुत्रगण मेडू सिंह नि0- नयावास, हरन्द सिंह व ब्रिजेश कुमार, हितेश कुमार पुत्रगण मेघ सिंह, श्रीमती वर्षा देवी पत्नी हितेश कुमार नि0-ग्राम	-	टी0एच0डी0सी0 परियोजना की रेलवे लाईन हेतु भूमि का स्थायी रूप से अर्जन
बुलन्दशहर	खुर्जा	जाँवल	489	0.2660	0.0576	राजपाल सिंह व मेघ सिंह पुत्रगण दीपचन्द, उदयरज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह नि0- ग्राम	-	
बुलन्दशहर	खुर्जा	जाँवल	490	0.2280	0.0210	राकेश कुमार व भानु प्रताप सिंह व बन्धु सिंह पुत्रगण शिशुपाल सिंह, राहुल पुत्र नरपाल सिंह, श्रीमती ऊषा देवी पत्नी नरपाल सिंह व विलम्बपाल सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह नि0-ग्राम	-	

यह नोटिस दिनांक 14.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

विशेष भूमि
कलेक्टर
बुलन्दशहर

विशेष भूमि
कलेक्टर
बुलन्दशहर

प्रारूप-20 (क)
(नियम 29)

अधिनियम की धारा-21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर द्वारा अधिसूचना संख्या 6342/आठ-वि0मू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 15.07.2020 निर्गत करते है तथा टी0एच0डी0सी0इण्डिया लि0 खुर्जा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उच्चतापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के निर्माण हेतु स्थायी रूप से भूमि अर्जन। परियोजना के लिए जिला बुलन्दशहर, तहसील-खुर्जा, परगना-खुर्जा, ग्राम-रुकनपुर में स्थित अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (सि0सि0) बुलन्दशहर (कलेक्टर कमरा नं0-03) में दिनांक 15.02.2021 दिन-सोमवार को पूर्वाहन में उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्धों में दावे की धनराशि एवं ब्याज, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

जनपद	परगना / तहसील	ग्राम / नगर	भूखण्ड संख्या / गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे0 मे)	वर्तमान प्रस्ताव में अधिश्रमण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हे0 मे)	अभिलिखित भू-धारक / स्वामी / उपस्थामी / भूमिधर / सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार / उप किरायेदार / आसामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
बुलन्दशहर	खुर्जा	रुकनपुर	487/1	0.6320	0.0175	रंगबहादुर पुत्र सरनान सिंह नि0-ग्राम	-	टी0एच0डी0सी0 परियोजना की रेलवे लाईन हेतु भूमि का स्थायी रूप से अर्जन
			487/2	0.6320		संजीव कुमार व सुनील कुमार व विनीत कुमार पुत्रगण रंगबहादुर शर्मा एवं श्रीमती मधु पत्नी पुनीत कुमार नि0-ग्राम	-	
बुलन्दशहर	खुर्जा	रुकनपुर	638	0.4160	0.0050	महावीर पुत्र खजान सिंह नि0-अरनियाँ खुर्द, दुष्यंत, धर्मेन्द्र पुत्रगण राजपाल नि0-ग्राम	-	
बुलन्दशहर	खुर्जा	रुकनपुर	361	0.1700	0.0265	विजेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गादास, प्रदीप पुत्र कुंवर प्रसाद, श्रीमती नारावती पत्नी कुंवर प्रसाद एवं विजेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गादास नि0-ग्राम	-	

यह नोटिस दिनांक 14.01.2021 को भरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

रिजिस्ट्रार

विशेष भूमि अध्यापन
कलेक्टर, बुलन्दशहर

प्रारूप-20 (क)

(नियम 29)

अधिनियम की धारा- 21(1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर द्वारा अधिसूचना संख्या 6342/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 15.07.2020 निर्गत करते है तथा टी0एच0डी0सी0इण्डिया लि0 खुर्जा के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उच्चतापीय विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के निर्माण हेतु स्थायी रूप से भूमि अर्जन। परियोजना के लिए जिला बुलन्दशहर, तहसील-खुर्जा, परगना-खुर्जा, ग्राम- दौवर में स्थित अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि की उदघोषणा संख्या 7020/आठ-वि0भू0अ0अ0/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020 बुलन्दशहर दिनांक 12.01.2021। अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सं0सं0) बुलन्दशहर (कलेक्टर कमरा नं0-03) में दिनांक 15.02.2021 दिन-सोमवार को पूर्वाहन में उपस्थित हो तथा भूमि में अपने से सम्बन्धित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के सम्बन्धों में दावे की धनराशि एवं ब्योरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे को संलग्न करते हुये अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

जनपद	परगना/ तहसील	ग्राम/नगर	भूखण्ड संख्या/ गाटा संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (हे० मं)	वर्तमान प्रस्ताव में अधिग्रहण किये जाने वाला कुल क्षेत्रफल (हे० मं)	अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/उपस्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम	किरायेदार/उप किरायेदार/आसामी, यदि कोई हो तो उसका नाम	आपेक्षित भूमि का उद्देश्य
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
बुलन्दशहर	खुर्जा	दौवर	618भि	0.6700	0.0297	नैत्रपाल पुत्र लीला नि०-ग्राम	-	टी0एच0डी0सी0 परियोजना की रेलवे लाईन हेतु भूमि का स्थायी रूप से अर्जन
बुलन्दशहर	खुर्जा	दौवर	498	0.9040	0.0230	प्रहलान सिंह पुत्र मालखान सिंह नि०-बादौली	-	

यह नोटिस दिनांक 14.01.2021 को भेजे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।

अतिरिक्त सूचना

विशेष भूमि
कलेक्टर
(संयुक्त सार्वजनिक) बुलन्दशहर